न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 156/2019

काका सिह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति राय सिम्ख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–22.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 सी बडी तहसील श्री गंगानगर के खाता सः 108/97 मु०म० 3 की कुल है। भूमि मे से 0.516 हैक. नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम जोगेन्द्र सिंह है तथा इसी नाम से उसका राशन कार्ड स० बना हुआ है, नकल शामिल है, अधार कार्ड सख्या 514679046810 फोटो युक्त बना है जिसकी नकल शामिल है। प्रार्थी को घर पर काका सिंह के नाम से पुकारा जाता है। इस कारण प्राथी के नाम चक 2 सी बडीं के खाता स० 108 /07 मु० नु० 3 का कुल भूमि में से 0.516 हैक. कृषि भूमि दर्ज करते समय जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर काका सिंह दर्ज हो गया। जमाबंदी की नकल शामिल हैं। इस प्रकार प्रार्थी का सही नाम जोगेन्द्र सिंह है मगर घर पर काका सिंह भी पुकारने से उपरोक्त जमाबंदी मे काका सिंह दर्ज हो गया। जबकि जोगेन्द्र सिंह व काका सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। इस सम्बंध मे ग्राम पचौमत 4 बी बडी पक्की ने प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2019 को जारी किया है। इस पर प्रार्थी का फोटो चस्पा किया है जो कि सरपंच द्वारा प्रमाणित भी किया आया है कि काका सिह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं अलग–अलग नहीं है तथा सरपंच ने यह भी लिखा है कि वह प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानती है। अब चक 2 सी वी के खाता संख्या 108 / 97 मु० न० 3 की कुल है० भूमि में से पार्टी के नाम दर्ज 0. 516 है. नहरी कृषि भूमि सुधार के लिए अब प्रमाण पत्र पटवारी हल्का से प्राप्त किया तथा भूमि सुधार की कार्यवाही की तो प्रार्थी का अन्य रिकार्ड में दर्ज नाम मेल ना खाने के कारण प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में काका सिंह दर्ज हो गया है उसके आगे जोगेन्द्र सिंह दर्ज

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

करवाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार से राजस्व श्री गंगानगर को पेश किया जिस पर कहा गया कि सक्षम न्यायलय से आदेश लाने पर ही नाम सही किया जा सकेगा अर्थात काका सिंह उर्फ जोगेन्द्रसिंह दर्ज किया जा सकेगा। अतः यह आवेदन पत्र चक 2 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0. 108 /97 मु.न० 3 की कृषि भूमि में अथवा जहां कहीं नाम काका सिंह दर्ज हो गया है उसके आगे जोगेन्द्रसिंह दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। अतः यह कर्मचारी माल टकंन की गलती के कारण अथवा अन्य किसी कारण प्रार्थी का नाम काका सिंह दर्ज किया गया है काका सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह दर्ज करवाना आवश्क हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 2 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 108 /97 मु० न०3 मे प्रार्थी का नाम काका सिंह उर्फ जोगेन्द्रसिंह पुत्र अवतार सिंह चालू जमाबन्दी व पुरानी जमाबन्दी मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबंदी चक 2 सी बड़ी मुन0 3 के मुश्तर्का खाता में काकासिंह पुत्र उतार सिंह जाति रायसिख सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपना नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी लिपिकीय भूल नहीं है। अतः एलआर एक्ट 1956 के नियम 136 के तहत नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 2 सी बडी खाता संख्या 108/97, जमाबंदी चक 2 सी बडी खाता संख्या 87, ग्राम पंचायत 4 बी बडी पक्की पं. सं. श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2019, आधार कार्ड जोगेन्द्र सिंह, राशन कार्ड जोगेन्द्रसिंह, निर्वाचन पहचान पत्र जोगेन्द्र सिंह की प्रतियां पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एवं मुताबिक जमाबंदी चक 2 सी बड़ी मुन0 3 के मुश्तर्का खाता में काकासिंह पुत्र उतार सिंह जाति रायसिख सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपना नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी लिपिकीय भूल नहीं है। अतः तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एलआर एक्ट 1956 के नियम 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी को सुनाकर सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner